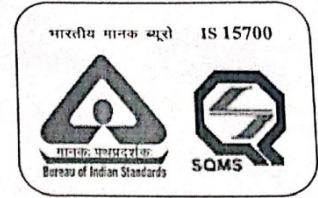




सेवोत्तम प्रमाणित



पत्र सं.- 3394

/वा०नि०-5/बागपत/से०-5/72

दिनांक- 07/10/24

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, बागपत-2,

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,

कार्यालय परिसर, सेक्टर-7, मण्डोला विहार, गाजियाबाद ।

विषय:- उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण(उ०प्र० रेरा) में परियोजना Construction of 226 Nos Different Types of Semifinished Houses in Sector-5A, Mandola Vihar Yojna Ghaziabad जनपद Ghaziabad आवेदन आई०डी० नं०-1241398 के परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-775/जी-35/66 दिनांक-03.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से परिषद की मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-5ए में 256 नग विभिन्न प्रकार के सेमाफिनिशड भवनों का ऑनलाईन पंजीकरण रेरा में कराये जाने हेतु स्वीकृत ले-आउट प्लान की की वैधता अवधि बढ़ायें जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में:-

1. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2018 के प्रस्तर 2.1.5 एवं 3.1.5 के अनुसार ले-आउट प्लान में सम्पत्तियों के निर्माण हेतु वैधता अवधि रेरा के पंजीकरण हेतु निर्गत की जा रही है।
2. मानचित्र वैधता अवधि दिनांक-04.10.2024 से दिनांक-03.10.2029 तक।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मुकेश कुमार रुहेला)

वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 3394

/ उक्त

/ दिनांक-

07/10/24

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(द्वारा मैसेज बोर्ड)

1. उप आवास आयुक्त, मेरठ जोन, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्लेक्स, शास्त्रीनगर, मेरठ।
2. अधीक्षण अभियन्ता-बागपत वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कार्यालय परिसर, सेक्टर-7, मण्डोला विहार, गाजियाबाद।

वास्तुविद नियोजक